मु.नं.—09/2020 ता.रजु—19.02.2020

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

प्रमोद कुमार शर्मा ग्राम फाजिलाबाद पोस्ट मंडावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली — अपीलाण्ट

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली — रेस्पोण्डेण्ट

## अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

## निर्णय

दिनांक—04.03.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर पत्रांक विकास/जांच/2019/1074—75 दिनांक 17.07.2019 से विकास अधिकारी हिण्डौन को भेजे गये पत्र पर विकास अधिकारी हिण्डौन की जांच रिपोर्ट एवं उस पर हुई कार्यवाही की प्रति चाही गई थी जिसे लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक—सू.अ.अ./2020/162 दिनांक 02.03.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके पत्रांक 594 दिनांक 13.12.2019 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है एवं उनके कार्यालय के विनिश्चय से अवगत करवाया जा चुका है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:14:01 IST
Reason: SelfAttested